अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान टाईटल सुट संख्या– 09/2017–18

दुली चन्द साहु एवं अन्य।

वनाम

प्रहलाद साहु एवं अन्य।

आदेश की क्रम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, और तारिख

आदेश

यह वाद दिनांक– 20.02.2018 को 1. दुली चन्द साहु, 2. गोपाल साहु, दोनों का पिता– स्व० मुगेश्वर साहु एवं 3. बसन्त साहु, पिता– मानीक चन्द साहु, ग्राम+पो०– जैंतगढ़, थाना– जगन्नाथपुर, जिला– पश्चिमी सिंहभूम द्वारा वाद पत्र के Schedule में वर्णित थाना संख्या– 417, हल्का संख्या– 5, मौजा– जैंतगढ़ के खाता संख्या– 325, प्लॉट संख्या– 984, रकवा– 0.05 डीसमिल भूमि Suit for declaration of sale deed no.- 196/190 दिनांक– 24.02.2015 के आलोक में प्रतिवादी 1. प्रहलाद साहु, पिता– स्व० मुगेश्वर साहु, ग्राम+पो०– जैंतगढ़, थाना– जगन्नाथपुर, जिला– पश्चिमी सिंहभूम के विरूद्ध दायर किया गया है। दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस भेजा गया तामिला प्रतिवेदन भी प्राप्त हुआ लेकिन लम्बे समय से स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता द्वारा पैरवी नहीं करने के कारण पुनः अंतिम नोटिस भेजा गया फिर भी दोनों पक्ष द्वारा सुनवाई हेतु किसी भी निर्धारित तिथि को अपना पक्ष रखने हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए इससे प्रतीत होता है की वादी प्रतिवादी को इस वाद में कोई अभिरूची नहीं है।

अतः उक्त के आलोक में इस वाद को खारीज करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

02·03·22

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

02·03·22

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

Digitally signed by Santosh Kumar Sinha
Date: 2022.03.14 17:33:33 +05:30
Location: 10.93.66.34

Scanned with CamScanner